



Case No. 59/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/SER-1513/JH/31/2024-SSW-RU-IV

श्री मनोज कुमार
सचिव,
खेल एवं युवा मामले निदेशालय,
झारखंड सरकार,
गेट नंबर 29 बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम,
मोरहाबादी, रांची (झारखंड)- 834008
E.mail : govjharkhandtourism@gmail.com

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक 07/07/2025 को 12:00 Noon बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ 1 (i) खेल, कूद एवं युवा कार्य विभाग राँची(झारखंड) द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी का बकाया राशि भुगतान न करने के संबंध में -श्री मोहन खलखो सेवा निवृत्त लिपिक, खेल, कूद एवं युवा कार्य विभाग राँची(झारखंड)का दिनांक 24.08.2024 का अभ्यावेदन।
- (ii) पर्यटन, काला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार पत्र सं पर्य0/स्था-41/2017/1586 दिनांक 22.10.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतान होंगे।

दिनांक 01/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



COPY NO. -

NIC for uploading

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-11001